कुदरेमुख - मामला पर्यावरण और विकास का

मुज़फ्फर असादी

कर्नाटक के कुदरेमुख क्षेत्र में स्थित कुदरेमुख लौह अयस्क कम्पनी (KIOCL) के खनन कार्य पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कई अनिश्चितताओं पर विराम लगा गया है। KIOCL सार्वजनिक क्षेत्र की एक मुनाफा कमाने वाली कम्पनी है। यह निर्णय एक ऐसे वक्त में आया जब कर्नाटक के मांड्या और मैसूर ज़िलों में कावेरी मुद्दे पर संघर्ष जारी हैं। हालांकि प्रभावशाली वोक्कालिगा जाति और सत्ताधारी पार्टी की राजनीति के चलते कावेरी मुद्दे को काफी महत्व मिला लेकिन अन्य कई लोगों के लिए कुदरेमुख सरोकार का एक मुख्य मुद्दा है। मसलन पर्यावरणविद, इकोलॉजिस्ट, बुद्धिजीवी और दीगर सामाजिक समूह। चिकमंगलूर, शिमोगा, दक्षिण कन्नड और उडुपी ज़िलों की एक बड़ी आबादी की आजीविका पर तथा श्रमिकों, आदिवासियों और वहां की इकॉलॉजी पर भी इसके व्यापक असर होंगे। इसके अलावा कुदरेमुख का मसला अपने में कई और भी महत्वपूर्ण विषयों को समेटे है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, इकॉलॉजी-संवेदी ज़मीन कम्पनी को लीज़ पर देना और आदिवासियों का पुनर्वास। यह अस्मिता, संस्कृति, पूंजीवाद, आधुनिकता-पश्चात जीवन और पर्यावरणीय संकट का भी मुद्दा बन गया है। इन मुद्दों को, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, पर्यावरण और पूंजीवाद के परस्पर विरोधाभास के बतौर देखा जाना चाहिए।

कुदरेमुख चिकमंगलूर, उडुपी, दक्षिण कन्नड और शिमोगा ज़िलों में फैला है। पश्चिमी घाट के 'घोड़ेनुमा' अक्स से इसे यह नाम मिला है। यह क्षेत्र लौह अयस्क से समृद्ध है। दरअसल पश्चिमी घाट दुनिया के जैव विविधता से समृद्ध 18 इलाकों में से एक है। संरक्षण प्रयासों को केंद्रित करने हेतु डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. द्वारा चिन्हित 'ग्लोबल 200' क्षेत्र का भी यह एक हिस्सा है। कुदरेमुख 3 महत्वपूर्ण नदियों तुंग, भद्रा और नेत्रवती का उद्गम स्थल भी है।

लेकिन लौह अयस्क खनन ने इस पूरे क्षेत्र की काया पलट दी है। 20वीं सदी की शुरूआत के औपनिवेशिक काल में, इस इलाके में लौह अयस्क की मौजूदगी की बात पता थी। हालांकि 60 के दशक तक लौह अयस्क खनन के कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए थे। औपनिवेशिक काल में लौह अयस्क खनन का काम मुख्यतः चिकमंगलूर में केम्मानु गुण्डी में होता था। 1960 के दशक में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (रा.ख.वि.नि.) ने लौह अयस्क खनन में रुचि दिखाई और राज्य सरकार से 5128 हैक्टर ज़मीन लीज़ पर ले ली। 1972 में रा.ख.वि.नि. ने लगभग 613 हेक्टर ज़मीन सरकार को इस समझ से वापिस लौटा दी थी कि समय आने पर सरकार लीज़ पर दी गई ज़मीन पर खनन की इजाज़त दे देगी। 1976 में KIOCL बनने के वक्त रा.ख.वि.नि. ने 4605.02 हैक्टर ज़मीन कम्पनी को सौंप दी। इसमें 3203.55 हैक्टर वन भूमि, 1220.03 हैक्टर अन्य सरकारी ज़मीन और 181.44 कम्पनी की निजी सम्पत्ति थी।

बहरहाल KIOCL के निर्माण को जिस चीज़ ने प्रेरित किया वो थी ईरान के स्व. शाह द्वारा इसमें दिखाई गयी गहरी रुचि। इस इको-संवेदनशील क्षेत्र में खनन उद्योग स्थापित करने हेतु ईरान ने 63 करोड़ डॉलर लगाने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। बदले में इरान के उद्योगों को सान्द्र लौह अयस्क का निर्यात किया जाना था। कम्पनी इसी मंशा से शुरू हुई कि वह औसतन 75 लाख टन सांद्र लौह अयस्क उत्पादन करेगी। ईरान से हुए इस अनुबंध से पहले अमरीकी और जापानी कम्पनियों के समन्वय से खनन उद्योग बनाने के प्रयास हुए थे। चूंकि अयस्क में लौह तत्व केवल 30-33 प्रतिशत तक था इसलिए यह